M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

Roll No./ अनुक्रमांक

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 6
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6

LAW
First Paper

Time Allowed – 1.30 Hours
समय – 1.30 घण्टे

Maximum Marks - 100
पूर्णांक – 100

Instructions/निर्देश :–

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक ही भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।
2. Please, adhere to the words limit which is approximately 60 words for each question and as well as for a short note.
प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा लगभग 60 शब्द प्रति प्रश्न एवं प्रत्येक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए निर्धारित की गई है। उसका अवश्य पालन करें।
3. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जावेगा।
4. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 1st Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल प्रथम प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
5. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.NO. /प्र.क्र. **Marks /अंक**

CONSTITUTION OF INDIA

1. What are the implied limitations on the power of parliament to amend the constitution ? Answer citing relevant law/provisions. 5
संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्तियों की क्या सीमाऐं हैं ? सुसंगत विधि/उपबंध को उद्दृत करते हुए समझाईये ।

2. Define 'State'. Give five examples of local/other authorities which are held to be 'State'. 5
'राज्य' को परिभाषित करें । पांच स्थानीय/अन्य प्राधिकारी का उदाहरण दें जिन्हें 'राज्य' अभिनिर्धारित किया गया है ।

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908

3. Whether the Court can dismiss a suit as being barred by order 2 rule 2 of the C.P.C. without such plea having been raised by the defendant ? Whether the merit and the validity of the second suit are relevant consideration for adjudication of such plea ? 5

क्या प्रतिवादी के द्वारा इस आशय का कोई अभिवाक् न लिये जाने के बावजूद कि वाद आदेश 2 नियम 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता से बाधित है, न्यायालय वाद निरस्त कर सकता है ? क्या द्वितीय वाद के गुण–अवगुण एवं उसकी वैधता ऐसे अभिवाक का न्यायनिर्णयन करने के लिये विचारणीय है ?

4. Enumerate some procedural features of a Second Appeal which makes it different from the First Appeal ? 5

द्वितीय अपील के कुछ ऐसे प्रक्रियात्मक फीचर्स (भेदकारी तत्वों) को गिनाईये जो उसे प्रथम अपील से भिन्न बनाते हैं ?

5. Explain how a decree for eviction of a tenant can be passed on the basis of a compromise between the parties under Order 23 Rule 3 of CPC. The rented premises is in Gwalior where the provisions of M.P. Accommodation Control Act, 1961 are applicable. 5

समझाईये कि कैसे आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर किरायेदार के विरूद्ध निष्कासन की आज्ञप्ति पारित की जा सकती है। किराये पर दिया गया परिसर ग्वालियर में स्थित है, जहां म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के प्रावधान प्रयोज्य है ।

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882

6. Explain the provisions regarding determination of lease under sec.111 of Transfer of Property Act 1882. 5

संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 111 के अन्तर्गत पट्टे के पर्यवसान से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करें ?

7. Whether every sale accompanied by an agreement for re-conveyance of property would constitute mortgage by conditional sale ? What is the pre-requisite for a mortgage by conditional sale ? Answer with reference to case law. 5

क्या प्रत्येक विक्रय जिसके साथ संपत्ति के पुनः अंतरण का अनुबंध किया गया है सशर्त विक्रय के साथ बंधक गठित करेगा ? सशर्त विक्रय के साथ बंधक की पूर्व शर्त क्या है ? न्यायदृष्टांतों के संदर्भ में समझाईये ।

INDIAN CONTRACT ACT, 1872

8. Enumerate the conditions in which a surety is discharged from the liability ? 5

उन शर्तों का उल्लेख करें जिनके आधार पर एक प्रतिभू अपने उत्तरदायित्वों से उन्मोचित हो जाता है ?

9. "All restraints of trade are void". appreciate the law and its exception ? 5

''व्यापार के सभी अवरोधक शून्य है'' इसकी विधि और अपवाद की विवेचना कीजिए ?

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963

10. "A" has a residential plot in Bhopal. He contracts with "B" to get his house constructed on this plot by a certain date. "A" has also paid the amount as agreed to. "B" does not start the construction as it was agreed. "A" then files a suit for specific performance. State the conditions which are necessary to be fulfilled, before seeking/ granting the relief.? 5

'अ' का भोपाल में एक आवासीय भू–खण्ड है । उसने इस भू–खण्ड पर एक निश्चित तिथि तक अपना मकान निर्माण कराने हेतु 'ब' से करार किया । 'ए' ने करार किये गये राशि का भुगतान कर दिया । 'ब' ने करार के अनुसार निर्माण कार्य शुरू नहीं किया । तब 'अ' विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद पेश करता है । उन शर्तों को बताईये जिनकी पूर्ति अनुतोष चाहने/दिये जाने के लिए आवश्यक है ?

11. Describe the instances where a prayer for injunction can be refused under this Act ? 5

ऐसे उदाहरणों को वर्णित करें, जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यादेश के लिए प्रार्थना को नामंजूर किया जा सकता है ?

LIMITATION ACT, 1963

12. 'A' is a minor and is 16 years of age. 'B' forcibly dispossessed 'A' from his immovable property. 'A' brings a suit for possession of the property, 8 years after attaining the age of majority. State – (i) what is the period of limitation prescribed for filing a suit of possession on the basis of title and when the period for limitation would commence ? (ii) Whether the suit filed by 'A' is barred by limitation under section 8 of the Act ? 5

'क' एक 16 वर्षीय अवयस्क है । 'ख' 'क' को उसकी स्थावर संपत्ति से बलपूर्वक बेदखल कर देता है । 'क' वयस्कता प्राप्त होने के 8 वर्ष बाद कब्जा हेतु वाद लाता है बताईये कि (1) स्वत्व के आधार पर कब्जा हेतु वाद प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित परिसीमा काल क्या है और कब परिसीमा काल आरंभ होगा ? (2) क्या 'क' द्वारा प्रस्तुत वाद अधिनियम की धारा – 8 के अंतर्गत परिसीमा से बाधित है ?

13. Facts : "A" instituted a suit on 12.12.2011 for a loan advanced on 01.01.2008 on the basis of an intermediate payment made by debtor "B" on 12.12.2010 though such payment was not authenticated by the debtor on the loan document, but in his signed written statement he has admitted this fact.

Q. Whether the suit instituted by "A" is within the prescribed limitation ? Explain with relevant laws. 5

तथ्य :– 'ए' ने, दिनांक 01.01.2008 को दिए गए ऋण पर से, ऋणी 'बी' द्वारा दिनांक 12.12.2010 को किए गए मध्यवर्ती भुगतान के आधार पर दिनांक 12.12.2011 को एक वाद संस्थित किया । हालांकि ऐसा भुगतान ऋणी द्वारा ऋण दस्तावेज पर प्रमाणिकृत नहीं था, लेकिन उसके हस्ताक्षरित लिखित कथन में उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था ।
प्रश्न –क्या 'ए' द्वारा संस्थित वाद विहित परिसीमा के भीतर है ? सुसंगत विधि सहित स्पष्ट करें ।

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

14. Under what circumstances a Bhumiswami can lease the whole of his holding for more than 1 year consecutively and when such lessee may be ejected ? 5
किन परिस्थितियों में एक भूमि स्वामी उसके सम्पूर्ण खाते की भूमि को लगातार एक वर्ष से अधिक के लिये पट्टे पर दे सकता है और ऐसे पट्टेदार को कब बेदखल किया जा सकेगा ?

15. Write brief notes on any of the two - 5

(1) Wazib-ul-Arz (2) Landless Person
(3) Kotwar (4) Gram Sabha

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये–

(1) वाजिब–उल–अर्ज (2) भूमिहीन व्यक्ति
(3) कोटवार (4) ग्राम सभा

M.P. ACCOMODATION CONTROL ACT, 1961

16. 'A' a landlord, has to go to London for six months in connection with a study tour. He retains the possession of one room and lets out the remaining house to 'B' with the condition that after six months the rented portion shall be handed over to him by 'B'. State (1) whether any permission is required for the purpose of letting out the house and if so from whom ? (2) in case 'B' refuses to hand over the possession after six months, what legal remedy is available to 'A' ? and (3) in such a case whether the grounds u/s 12(1) are required to be proved or not? 5

'क' एक भू–स्वामी को अध्ययन भ्रमण के संबंध में 6 माह के लिये लंदन जाना है। वह एक कमरा अपने कब्जे में रखते हुए शेष भवन को 'ख' को इस शर्त के साथ किराये पर देता है कि 6 माह के बाद किराये पर दिया गया भाग उसे 'ख' के द्वारा सौंप दिया जावेगा । बताईये कि (1) क्या भवन किराये पर देने के प्रयोजन हेतु कोई अनुज्ञा अपेक्षित है और यदि हां तो किससे (2) –उस मामले में जहां 'ख' 6 माह के बाद कब्जा सौंपने से इंकार कर देता है 'क' को क्या विधिक उपचार उपलब्ध है (3) उस मामले में क्या धारा – 12(1) के अंतर्गत आधार प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं ?

17. What do you mean by the term 'denial of title'. Discuss when it gives/does not give a right to sue for eviction of a tenant in favour of land lord ? 5

'स्वत्व से इंकारी' से आप क्या समझते हैं ? यह भू–स्वामी को किरायेदार के विरूद्ध निष्कासन हेतु वाद लाने का कब अधिकार देता है/कब अधिकार नहीं देता है ।

HINDU LAW

18. A Hindu wife aged 20 years, wants to seek divorce on one of the following grounds by filing such petition on 15.10.2012. Comment with relevant law :-

(a) her marriage was solemnized at the age of 14 yrs. & she has repudiated the marriage at the age of 17 and a half yrs.

(b) husband has been guilty of attempt to rape after solemnization of the marriage.

(c) Judicial magistrate first class passed maintenance order under sec. 125, Cr.PC against husband @ Rs. 2000 per month in favour of wife with effect from 01.01.2012, but cohabitation between the parties has not been resumed upto 15.10.2012.

(d) After solemnization of the marriage the husband has had voluntary sexual intercourse with a women other than his wife.

(e) whether husband can make counter claim for divorce on any or all of the grounds of the aforesaid divorce petitions ? 5

एक हिन्दू महिला, उम्र 20 वर्ष दिनांक 15.10.2012 को याचिका दाखिल कर निम्न में से किसी एक आधार पर विवाह विच्छेद चाहती है । सुसंगत विधि सहित टिप्पणी दे :–

(ए) उसका विवाह चौदह वर्ष की आयु में अनुष्ठापित हुआ था और उसने साढ़े सत्रह वर्ष की आयु में विवाह का निराकरण (विखंडन) कर दिया है ।

(बी) पति विवाह के अनुष्ठापन के बाद बलात्संग के प्रयास का दोषी रहा है ।

(सी) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने धारा 125 द0प्र0सं0 के अंतर्गत पत्नि के पक्ष में एवं पति के विरूद्ध दिनांक 01.01.2012 को दो हजार रूपए प्रतिमाह का भरणपोषण का आदेश, आदेश दिनांक 01.01.2012 से प्रभावशील दिया, किन्तु पक्षकारों के मध्य इस आदेश दिनांक 01.01.2012 से विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुती दिनांक 15.10.2012 तक सहवास का पुनरारम्भ नहीं हुआ है ।

(डी) विवाह के अनुष्ठापन के बाद पति ने उसकी पत्नि से भिन्न किसी स्त्री से स्वेच्छया मैथुन किया ।

(ई) क्या पति विवाह विच्छेद याचिका के उपरोक्त सभी या किसी आधार पर विवाह विच्छेद का प्रतिदावा कर सकता है ?

19. Whether a District Judge or Additional District Judge can grant a decree of divorce under section 13 of Hindu Marriage Act, on the ground of irretrievable break down of marriage and whether he can dispense with or shorten the statutory waiting period of 6 months under section 13-B of the Hindu Marriage Act ? Explain with reference to the law/provisions. 5

क्या कोई जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश इररिटरीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मेरिज के आधार पर धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान कर सकता है एवं क्या वह धारा 13–बी हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विहित 6 माह की वैधानिक अवधि में पूर्ण अथवा आंशिक छूट प्रदान कर सकता है । विधि/प्रावधानों के संदर्भ में समझाईये ?

MIXED

20. Write Short-notes on any two of the followings : - 5

1. Contents of Decree
2. Onerous Gifts
3. Uterine Brother.
4. Decree of eviction on the basis of sub tenancy.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : –

1. डिक्री की अंतर्वस्तु
2. दुर्भर दान
3. एकोदर भाई
4. उपकिरायेदारी के आधार पर निष्कासन की आज्ञप्ति

*****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

Roll No./ अनुक्रमांक | | | | | |

Total No. of Questions : 20
कुल प्रश्नों की संख्या : 20

No. of Printed Pages : 6
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6

LAW
Second Paper

Time Allowed – 1.30 Hours
समय – 1.30 घण्टे

Maximum Marks - 100
पूर्णांक – 100

Instructions/निर्देश :–

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक ही भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।
2. Please, adhere to the words limit which is approximately 60 words for each question and as well as for a short note.
प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा लगभग 60 शब्द प्रति प्रश्न एवं प्रत्येक संक्षिप्त टिप्पणी के लिए निर्धारित की गई है। उसका अवश्य पालन करें।
3. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जावेगा।
4. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 2nd Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें । अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा ।
5. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q.NO. /प्र.क्र. **Marks /अंक**

INDIAN PENAL CODE, 1860

1. "X", a citizen of India has committed an offence in Sri Lanka punishable under IPC. Describe the provisions regarding extension of IPC to extra territorial offences. How such offences can be tried in India ? 5

"X" भारतीय नागरिक द्वारा श्रीलंका में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय एक अपराध किया गया। भा0द0सं0 के राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर विस्तार से संबंधित प्रावधानों को वर्णित करें ? ऐसे अपराधों का विचारण भारत में कैसे हो सकता है ?

2. At about 10 pm on a highway, accused "A" and "B" jointly stopped "C". Then "A" voluntarily caused grievous injury to "C", and accused "B" snatched a gold chain of "C" Explain the offences committed by them.
अभियुक्त 'ए' व 'बी' ने संयुक्त रूप से रात्रि करीब 10 बजे राजमार्ग पर 'सी' को रोका । अभियुक्त 'ए' ने स्वेच्छया 'सी' को गम्भीर उपहति कारित की और अभियुक्त 'बी' ने 'सी' की सोने की चैन को छीन लिया । 'ए' और 'बी' द्वारा किए गए अपराधों को स्पष्ट करें ?

3. Define 'sexual harassment'. Describe the procedure and punishment provided for the offence ? 5
'लैंगिक प्रताड़ना' को परिभाषित कीजिए ? इस अपराध से उपबंधित प्रक्रिया एवं दण्ड का वर्णन करें ?

4. 'A' shot a fire at 'B' and thereby causing injury on his thigh. What factors may be relevant to ascertain as to whether the offence committed by 'A' comes under S. 307 and not u/s. 324 I.P.C. only. ? Discuss. 5
'क' 'ख' पर फायर करता है और तदद्वारा उसे जांघ में चोट पहुंचाता है । यह अभिनिश्चित करने के लिये क्या–क्या कारक सुसंगत हो सकते हैं कि क्या 'क' द्वारा कारित अपराध भा0दं0सं0 की धारा 307 में आता है न कि केवल धारा 324 के अन्तर्गत ? चर्चा कीजिए ।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

5(a). A sessions court after convicting an accused person under sec. 307 & 326 (two counts) IPC, punished him with rigorous imprisonment of seven years, five years and five years respectively, and also directed that such punishments shall run consecutively. Whether sessions court is competent to inflict such punishment ? 2.5

सत्र न्यायालय ने एक अभियुक्त व्यक्ति को धारा 307 एवं 326 (दो बार) भा0द0सं0 के अपराध में दोषी ठहराये जाने के बाद उसे क्रमशः 7 वर्ष, 5 वर्ष एवं 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया और यह भी निर्देशित किया कि ऐसे दण्ड एक के बाद एक प्रारम्भ होंगे । क्या सत्र न्यायालय ऐसा दंड देने में सक्षम है ?

5(b). The CJM, Indore, after convicting an accused person, for the offences under sec. 324 & 325 IPC, sentenced him for rigorous imprisonment of three years & a fine of Rs. 5000 for each offence, and further directed that such punishments shall run consecutively. The accused was on bail and filed an application under sec. 389 (3) Cr.P.C. for suspension of sentence. Decide the application according to law. 2.5

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर ने एक अभियुक्त व्यक्ति को धारा 324 एवं 325 भा0दं0सं0 के अपराधों में दोषी ठहराये जाने के बाद उसे प्रत्येक अपराध के लिये तीन–तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपए पांच सौ–पांच सौ के अर्थदण्ड से दंडित किया और यह भी निर्देशित किया कि ऐसे दंड एक के बाद एक प्रारम्भ होंगे । अभियुक्त जमानत पर था और उसने धारा 389 (3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत दण्ड के निलंबन हेतु एक आवेदन पत्र दाखिल किया । आवेदन पत्र को विधि अनुसार निराकृत करें ?

6. Where genuineness of the injury reports and the post-mortem examination reports have been admitted by the defence before the trial Court, whether such reports can be read as substantive evidence under subsection (3) of Section 294 Cr. P.C ? Answer with reference to the law/provisions. 5

जहां बचाव पक्ष के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चिकित्सकीय जांच प्रतिवेदन एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन की प्रमाणिकता को स्वीकार कर लिया गया हो, क्या वहां ऐसे प्रतिवेदनों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 294(3) के अधीन सारभूत साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है ? विधि/प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

7. Describe briefly the law relating medical examination of a victim of rape ? 5

बलात्संग की पीड़ित के चिकित्सकीय परीक्षण संबंधि विधि का संक्षिप्त में वर्णन करिये?

8. After dismissal of the first complaint, whether a second complaint on the same facts can be entertained ? if yes, under what circumstances ? Answer with reference to the law/provisions ? 5

प्रथम परिवाद निरस्त हो जाने के उपरांत क्या उन्हीं तथ्यों पर द्वितीय परिवाद को ग्रहण किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? विधि/प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

9. "X", an accused has informed a police officer while in custody that he murdered "Y" with a sword on 15th July, 2013 at about 9 pm near a temple in village "Z". At that time, the sword and his clothes were blood stained and he had buried them behind his house near a banyan tree. On this information, the investigating officer found the said sword and clothes from the place told by the accused.

Determine the admissibility and relevancy of this information/statement as evidence in the given facts as per applicable law. 5

"X" एक अभियुक्त ने अभिरक्षा के दौरान पुलिस अधिकारी को सूचना दी कि उसने 15 जुलाई 2013 को रात्रि करीब 9 बजे "Z" मंदिर के पास तलवार से "Y" की हत्या की थी । उस समय तलवार और उसके कपड़े रक्तरंजित हो गए थे और उसने उन्हें अपने घर के पीछे बरगद के पेड़ के पास गाढ़ दिया है । उसकी ऐसी सूचना पर अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान से बताई गई तलवार व कपड़े बरामद किए

दिए गए तथ्यों में प्रस्तुत इस सूचना/कथन की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता और सुसंगतता का प्रयोज्य विधि अनुसार निर्धारण करें ?

10. Whether an oral dying declaration can form the basis for conviction in given case ? if yes, under what circumstances ? Answer with references to case law ? 5

क्या किसी प्रकरण में मौखिक मृत्यु कालिक कथन पर दोषसिद्धी को आधारित किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? न्यायदृष्टांतों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

11. Explain the legal proposition regarding evidentiary value of a hostile witness as held in the case of Khujji @ Surendra Tiwari v. State of M.P. AIR 1991 SC 1853 5

पक्ष विरोधी साक्षी के साक्ष्यात्मक मूल्य की विधिक प्रतिपादनाओं को स्पष्ट कीजिए जैसा कि खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरूद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 ए0आई0आर0 1991 सु0को0 1853 वाले मामलें में अवधारित है।

NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT, 1881

12- What are the exceptions to the general rules that for dishonour of cheque along with the company the person who was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company shall be deemed to be guilty. 5

सामान्य नियम कि चेक अनादर होने पर कम्पनी के साथ वह व्यक्ति जो प्रभार में था तथा कम्पनी के व्यवसाय संचालन हेतु कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, को दोषी समझा जाएगा, के अपवाद क्या है ?

13. Explain as to whether provisions of Section 200 of the code of Criminal Procedure requiring Magistrate to examine complainant and witnesses on oath before issuance of the process apply to a complaint regarding offence under Section 138 of the Act ? Whether accused can be allowed to tender his evidence on affidavit ? 5

स्पष्ट कीजिए कि क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के प्रावधान, जो मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा करते हैं कि वह आदेशिका जारी करने के पूर्व परिवादी एवं उसके साक्षीगण की शपथ पर परीक्षा करेगा, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध से संबंधित परिवाद पर प्रयोज्य होते हैं ? क्या अभियुक्त को, शपथ पत्र पर साक्ष्य देना, अनुज्ञात किया जा सकता है ?

N.D.P.S. ACT, 1985

14 - Describe briefly the punishment for contravention in relation to cannabis plant and cannabis. 5

कैनाबिस के पौधे एवं कैनाबिस के सम्बन्ध में उलंघन पर दंड का संक्षिप्त वर्णन करें–

15. Whether a confession recorded by the Officers of the Central Bureau of Narcotics regarding an offence punishable under the N.D.P.S Act, is admissible in evidence in view of sections 25 & 26 of the Evidence Act ? Answer with reference to law/provisions. 5

क्या स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा अभिलिखित संस्वीकृति, धारा 25 एवं 26 साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में साक्ष्य में ग्राह्य होगी ? विधि/प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिये ?

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

16. State briefly the ingredients for an offence of being in possession of property disproportionate to known source of income punishable u/s. 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act. What is meant by 'known source of income'. 5

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) के तहत दण्डनीय ज्ञात श्रोत से अधिक अनुपातहीन सम्पत्ति के कब्जे में होने के अपराध के तत्वों को संक्षेप में बताईये। ''आय के ज्ञात श्रोत'' का क्या मतलब है ?

17. Whether a special judge can take cognizance of an offence under sec. 12 for abatement of an offence under sec. 7 without any previous sanction from the concerned govt. Comment with relevant provisions. 5

क्या विशेष न्यायाधीश धारा 7 के एक अपराध के दुष्प्रेरण के लिये धारा 12 के अन्तर्गत किए गए अपराध का संबंधित सरकार से कोई पूर्व अनुमति लिए बिना संज्ञान ले सकता है ? सुसंगत प्रावधानों के साथ टीप दें ।

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

18. The prosecutrix has lodged a F.I.R. having the ingredients of an offence under Sec. 354 of I.P.C. and Sec. 3(1)(xi) of the SC/ST (P.A.) Act, whether the accused can be enlarged on bail under Sec. 438 of Cr.P.C. ? Discuss. 5

अभियोक्त्री ने भा0दं0सं0 की धारा 354 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अपराध के तत्वों के साथ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई । क्या आरोपी द0प्र0सं0 की धारा 438 के अंतर्गत जमानत पर मुक्त किया जा सकता है ? चर्चा करें ।

19. Explain with reasons, whether after conclusion of a trial under sec. 3(2)(V) of SC/ST (POA) Act, 1989 & Sec. 326 IPC, an accused person can be convicted & Sentenced under Sec. 3(2)(V) of SC/ST (POA) Act, 1989 & sec. 324 IPC at the time of passing Judgment. - 5

कारण सहित स्पष्ट करें, क्या धारा 3 (2) (V)–अनुसूचित जाति–जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं धारा 326 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विचारण समाप्त होने के पश्चात् निर्णय के समय अभियुक्त व्यक्ति को धारा 3 (2) (V)–अनुसूचित जाति–जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं धारा 324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है ?

MIXED

20. Write Short-notes on any two of the followings : - 5
    1. Evaluation of multiple dying declaration.
    2. Dowry death & its presumption.
    3. Estoppel
    4. Free legal assistance at State cost :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये : –

1. एक से अधिक मृत्यकालिक कथन का मूल्यांकन ।
2. दहेज मृत्यु एवं उसकी उपधारणा ।
3. विबन्ध
4. राज्य के व्यय पर मुफ्त कानूनी सहायता ।

*****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4
No. of Printed Pages : 4

लेखन एवं संक्षेपण
तृतीय प्रश्न–पत्र
ARTICLE & SUMMARY WRITING
Third Paper

समय – 1.30 घण्टे
Time Allowed – 1.30 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

Instructions/निर्देश :–

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answer where it is given with the question. Violation may lead to minus marking.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।
2. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जायेगा।
3. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 3rd Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
   इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल तृतीय प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

Q. 1. **Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following topics (Social) :**
निम्नलिखित विषयों (सामाजिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए : **अंक–30**

(i) Media Trial
समाचार माध्यमों के जरिये विचारण

(ii) Problems of old age in India
भारत में वृद्धावस्था की समस्याएं

2- **Write an article in Hindi or English, in about 150 words, on any one of the following topics (Legal)**
निम्नलिखित विषयों (विधिक) में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों में लेख लिखिए : **अंक–20**

(i) Witness Protection साक्षी संरक्षण
(ii) Competency of a child witness. बालक साक्षी की सक्षमता ।

3- Summarize the following passage into Hindi (In 150 words)

निम्नलिखित गद्यांश का हिन्दी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (150 शब्दों में) : अंक–20

1. वादी एवं प्रतिवादी जबलपुर शहर के निवासी होकर पूर्व परिचित हैं ।

2 प्रतिवादी के स्वत्व एवं आधिपत्य का मकान नंबर 339, सिविल लाईन्स, जबलपुर में स्थित है, जिसका प्रतिवादी पंजीकृत स्वामी है और नगर निगम, जबलपुर के संपत्ति संबंधी अभिलेखों में भी प्रतिवादी का नाम भवन स्वामी के रूप में दर्ज है ।

3. प्रतिवादी को पुत्री के विवाह के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से उसने उक्त मकान को विक्रय करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रस्ताव आमंत्रित किये । इस पर वादी ने प्रतिवादी से मिलकर उक्त मकान क्रय करने का आशय व्यक्त किया, जिस पर उभयपक्ष के मध्य इस संबंध में सहमति होने से आपसी शर्तें तय कर उनके आधार पर दिनांक 12.12.12 को विधिवत् एक विक्रय अनुबंध पत्र उभयपक्ष द्वारा निष्पादित किया गया ।

4. प्रतिवादी ने उक्त मकान वादी को 5 लाख रूपये में विक्रय करने का सौदा कर विक्रय अनुबंध दिनांक को ही इस हेतु अग्रिम बयाना राशि रूपए 2 लाख प्राप्त कर उसकी अभिस्वीकृति अनुबंधपत्र में ही दी और शेष विक्रय राशि 3 लाख रूपए अनुबंध दिनांक से 6 माह की अवधि में उक्त मकान का आधिपत्य देते हुए विक्रय रजिस्ट्री कराये जाने के समय देना तय किया था ।

5. वादी ने प्रतिवादी की पुत्री के विवाह उपरान्त प्रतिवादी को समय–समय पर कई बार मौखिक सम्पर्क कर शेष विक्रय राशि प्राप्त कर उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री वादी के पक्ष में कराने को कहा, लेकिन प्रतिवादी कोई न कोई कारण बता नियत समय में रजिस्ट्री कराने का आश्वासन देता रहा, लेकिन विक्रय रजिस्ट्री नहीं की गई ।

6. जब विक्रय अनुबंध में विक्रय रजिस्ट्री के लिये नियत समय सीमा निकट आने लगी, तो वादी ने प्रतिवादी को अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त विक्रय अनुबंध अनुसार शेष राशि प्राप्त कर उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री वादी के पक्ष में निष्पादित करवाने और मकान का रिक्त आधिपत्य दिये जाने हेतु एक रजिस्टर्ड सूचना पत्र 3 जून, 2013 को भेजकर प्रतिवादी को उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री के निष्पादन हेतु उपपंजीयक कार्यालय, जबलपुर में दिनांक 11 जून, 2013 को सुबह 11.00 बजे उपस्थित होने की सूचना दी । ऐसा सूचना पत्र प्रतिवादी को दिनांक 6–6–13 को प्राप्त हो गया, लेकिन इसके उपरान्त भी वह नियत दिनांक 11–6–13 को उप पंजीयक के जबलपुर स्थित कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ और न ही इसका कोई जवाब दिया । वादी को यह युक्तियुक्त आशंका हो गई है कि प्रतिवादी ऐसी विक्रय संविदा की शर्तों का पालन न करते हुए उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री अन्य किसी को कराते हुए वादी को आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है ।

7. प्रतिवादी विक्रय अनुबंध की शर्तों के अनुसार पालन न करते हुए वादी के पक्ष में उक्त मकान की विक्रय रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है और न ही उक्त मकान का आधिपत्य वादी को सौंप रहा है । इन परिस्थितियों में प्रतिवादी के विरूद्ध विक्रय अनुबंध के विशिष्ट अनुपालन, प्रतिकर एवं विकल्प में विशिष्ट अनुपालन नामंजूर किये जाने पर बयाने की राशि ब्याज सहित वापस लौटाये जाने के अनुतोष हेतु न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है ।

8. वाद कारण दिनांक 12–12–12 को विक्रय अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात् से निरंतर प्रतिवादी को समय–समय पर मौखिक और रजिस्टर्ड सूचना पत्र के द्वारा विक्रय रजिस्ट्री के लिये कहे जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा विक्रय रजिस्ट्री न करवाना और अंततः दिनांक 11 जून 2013 को उपपंजीयक कार्यालय, जबलपुर में विक्रय रजिस्ट्री के लिए बिना किसी कारण के उपस्थित न होने से उत्पन्न हुआ है । वाद विहित समयावधि में प्रस्तुत है और वाद का मूल्यांकन 5 लाख रूपए करते हुए उस पर उसी अनुरूप देय स्टाम्प शुल्क 60 हजार रूपए चस्पाकर यह वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विवादित मकान तहसील व जिला जबलपुर में स्थित होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार और मूल्यांकन अनुसार श्रवणाधिकार का है ।

9. अतः वादी को निम्न अनुतोष दिलवाये जाने की प्रार्थना है–

(ए) प्रतिवादी को निर्देशित किया जाए कि वह उक्त विवादित मकान की विक्रय रजिस्ट्री, वादी के व्यय पर वादी से शेष विक्रय राशि 3 लाख रूपए प्राप्त कर, करवाये और उक्त विवादित मकान का रिक्त आधिपत्य वादी को सौंपे । प्रतिवादी के विफल रहने पर इसी अनुरूप विक्रय रजिस्ट्री न्यायालय के माध्यम से वादी के पक्ष में निष्पादित कराते हुए उसे उक्त विवादित मकान का रिक्त आधिपत्य दिलवाया जाए, जिसके लिए आवश्यक व्यय वादी वहन करने को तत्पर है ।

(बी) चूंकि प्रतिवादी द्वारा विक्रय अनुबंध में अनावश्यक विलंब करते हुए उसको भंग करने का प्रयास किया गया है । अतः प्रतिवादी से वादी को प्रतिकर राशि, जो न्यायालय उचित समझे, भी अतिरिक्त रूप से दिलवाई जाए ।

विकल्प में

यदि न्यायालय विक्रय संविदा का विशिष्ट अनुपालन नामंजूर करता है तो वादी को प्रतिवादी से अनुबंध अनुसार दी गई अग्रिम बयाने की राशि 2 लाख रूपए मय अनुबंध दिनांक से अदायगी तक के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित वापस दिलायी जाए ।

(सी) वादी को प्रतिवादी से इस वाद का सम्पूर्ण व्यय दिलवाया जाए ।

4- Translate the following 15 Sentences into English :-

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए : **अंक–30**

1 अभियुक्त दीपक पर धारा 307 भा0दं0सं0 का यह आरोप है कि उसने दिनांक 3–12–09 को दोपहर के लगभग 2.00 बजे सिद्धार्थ नगर, ईटावा, देवास में अभियुक्त मांगीलाल के साथ अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी रतनलाल को चाकू से उपहति ऐसे आशय से अथवा ज्ञान सहित एवं ऐसी परिस्थितियों में कारित की, कि यदि उसके उपरोक्त कृत्य से रतनलाल की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता ।

2 परिवादी रतनलाल जिलाधीश कार्यालय, देवास में चपरासी के पद पर कार्यरत् है ।

3 अभियुक्त मांगीलाल ने परिवादी रतनलाल को पकड़ लिया तथा अभियुक्त दीपक ने चाकू से उसकी गर्दन पर पीछे से वार किया ।

4 यदि हां, तो क्या अभियुक्त दीपक के द्वारा उपरोक्त चोटें अभियुक्त मांगीलाल के साथ अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में कारित की गई थी तथा अभियुक्त मांगीलाल के द्वारा उपरोक्त आपराधिक कृत्य में अभियुक्त दीपक को उकसाकर तथा रतनलाल को पकड़कर दीपक को सहयोग दिया गया था ?

5 उनके अभिमत में उपरोक्त सभी चोटें किसी कठोर एवं धारदार उपकरण से परीक्षण से 6 घन्टे की अवधि के भीतर आई थी ।

6 इस संबंध में सर्वप्रथम अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विद्यमान चक्षुदर्शी साक्ष्य पर विचार किया जाएगा ।

7 दिनांक 12.03.2009 को दोपहर के लगभग 2.00 बजे रतनलाल ड्यूटी से अपने घर खाना खाने के लिए आया था, इस तथ्य की पुष्टि राजूबाई (अ0सा0 4) तथा (अ0सा0 5) निशा ने भी की है ।

8 अभियोजन के लिए यह भी आवश्यक नहीं था कि वह परिवादी का कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, क्योंकि अभियोजन का यह प्रकरण नहीं है कि परिवादी पर उसके पदेन कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान हमला किया गया था।

9 इस न्यायदृष्टांत में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा यह धारित किया गया है कि जहां दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए हों, वहां पहला प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जिसके आधार पर पुलिस मशीनरी के द्वारा अन्वेषण प्रारम्भ किया गया था, वास्तविक प्रथम सूचना प्रतिवेदन माना जाएगा ।

10 इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **महेश दत्त मिश्रा वि0 म0प्र0 राज्य, 1995 (II) M.P.W.N. नोट 182** की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें यह धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा न केवल परिवादी की ओर से नामित साक्षीगण का परीक्षण करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र साक्षीगण का भी परीक्षण करना चाहिए।

11 इन परिस्थितियों में यह असंभाव्य प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति को चाकू से इस प्रकार की चोटें पहुंचाई गई हो, वह वास्तविक आक्रमणकारी को बचाकर अपने पड़ोसी को मात्र इस आधार पर घटना में मिथ्या आलिप्त कर देगा कि वह अपने पड़ोसी का घर हड़पना चाहता है।

12 विधि की यह एक सुस्थापित स्थिति है कि जहां साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेहों से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित कर दिया गया हो, वहां हेतु का अभाव अथवा उसकी अपर्याप्तता कोई मायने नहीं रखती है।

13 बृजेश सिंह कुशवाह (अ0सा0 10) का यह भी कथन है कि उसने परिवादी रतनलाल के रक्त रंजित कपड़े तथा जप्त मिट्टी को रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक, देवास के ज्ञापन के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर भेजा था ।

14 डॉ0 एस0एस0 मालवीय (अ0सा0 8) का कथन है कि आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र, देवास के द्वारा उनसे इस आशय का अभिमत चाहा गया था कि क्या उपरोक्त चाकू से आहत को आई चोटें कारित होना संभव है ?

15 परिणामतः अभियुक्त दीपक को धारा 307 भा0दं0सं0 के अधीन अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है, परंतु अभियुक्त मांगीलाल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 307 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2013

Roll No./ अनुक्रमांक | | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या 10
No. of Printed Pages : 10

विधि प्रायोगिक
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
(Law Practical)
Fourth Paper

समय – 1.30 घण्टे
Time Allowed – 1.30 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

Instructions/निर्देश :–

1. All questions are compulsory. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Please, adhere to the words limit of answer, which is approximately 60 words for Q.No. 1(a)-1(f) & 2(a)-2(f) each. Violation may lead to minus marking.
   प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, जो कि प्रश्न क्रमांक 1(a)-1(f) & 2(a) 2(f) के प्रत्येक उत्तर के लिए लगभग 60 शब्द निर्धारित की गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।
3. Write your Roll Number in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary sheet. Any attempt to disclose Roll No. or Identity in any form, in any other part thereof, shall disqualify the candidate.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। किसी भी प्रकार से किसी अन्य भाग पर रोल नम्बर अथवा पहचान प्रकट करने पर उम्मीदवार निरर्हित हो जायेगा ।
4. Answers of this Question Paper must only be given in Answer-book provided for the 4th Question Paper. Answers given on other Answer-sheets may not be valued.
   इस प्रश्न पत्र के उत्तर, केवल चतुर्थ प्रश्न पत्र हेतु दी गई उत्तर–पुस्तिका में ही लिखें। अन्य उत्तर पुस्तिका में उत्तर दिये जाने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
5. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of answer-book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer-book may not be done.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

COURT PROCEDURE

1(a)-Whether a Court has discretion to direct the defence to bear the expenses incurred by a defence witness even in non-bailable case instituted by the State ? Explain with reference to the relevant rule and the case law, if any? 5

क्या न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह राज्य के द्वारा संस्थित अजमानतीय प्रकरण में बचाव पक्ष को बचाव साक्षी का व्यय वहन करने के लिये निर्देशित कर सके ? सुसंगत नियमों एवं न्यायदृष्टांतों, यदि कोई हो तो, के संदर्भ में व्याख्या कीजिए –

1(b)- What is the procedure to be adopted in sessions trials and criminal appeals for forwarding copy of the judgment to the District Magistrate ? Explain with reference to the relevant rule and case law if any ? 5

सत्र प्रकरणों एवं आपराधिक अपीलों में जिला दंडाधिकारी को निर्णय की प्रतिलिपि अग्रेषित करने के लिये क्या प्रकिया अपनाई जानी चाहिए ? सुसंगत नियमों एवं न्यायदृष्टांतों, यदि कोई हो तो, के संदर्भ में व्याख्या कीजिए ।

1(c)- How the receiving officer should examine the plaint to findout its proper presentation ? **5**

प्राप्तकर्ता अधिकारी को वाद पत्र की प्रस्तुती का समाधान करने के लिए कैसे जांच करना चाहिए ?

1(d)- Explain the procedure regarding execution of decree with police help ? **5**

पुलिस सहायता से आज्ञप्ति के निष्पादन की प्रक्रिया को स्पष्ट करे ?

1(e)- State by what means a inspection fees can be levied from a person and how it shall be paid to the Government ? **5**

बतायें की एक व्यक्ति से निरीक्षण शुल्क किस साधन से उदगृहीत किया जा सकता हे और यह कैसे शासन को संदत्त किया जायेगा ?

1(f)- In what form & how examination of an accused is done during a Criminal Trial. Discuss briefly in the light of Provisions of M.P. Rules & Orders (Criminal). **5**

आपराधिक विचारण के दौरान एक अभियुक्त का परीक्षण किस फार्म में और कैसे किया जाता है, म० प्र० रूल्स एण्ड आर्डर (आपराधिक) के प्रावधानों के प्रकाश में संक्षेप में विवेचना करें ।

KNOWLEDGE OF CURRENT LEADING CASES

Following are the cases with citation in which either some legal principle or guidelines have been laid down by the Supreme Court. Point out the same in approximately 60 words. Out of given two options you may choose one ?

निम्नलिखित न्याय दृष्टांतों में कुछ विधि सिद्धांत या मार्गदर्शक सिद्धांत उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं। इन्हें लगभग 60 शब्दों में लिखिए। दिये गये दो विकल्पों में से आप एक चुन सकते हैं–

2(a)	R.C. Chandel Vs. High Court of M.P. AIR 2012 (SC)2962	**or**	D. Velusamy vs. D. Patchaiamma (2010) 10 SCC 469 **5 Marks**
2(b)	Siddharam Satlingappa Mhetre Vs. State of Maharashtra & ors. (2011) 1 SCC 694	**or**	Ramesh Kumar Soni Vs. State of M.P. 2013 Cr. L.J. 1738 (SC) **5 Marks**
2(c)	Ashwani Kumar Saxena vs. State of M.P. (2012) 9 SCC 750	**or**	Sandhya Manoj Wankhade Vs. Manoj Bhimrao Wankhade (2011) 3 SCC 650 **5 Marks**
2(d)	Vilas Pandurang Pawar and another Vs. State of Maharashtra & ors. 2012 AIR SC 3316	**or**	Sivanmoorthy and others Vs. State (2010) 12 SCC 29 **5 Marks**
2(e)	Ashok Kumar Lingala Vs. State of Karnataka & Ors. [AIR 2012 SC 53]	**or**	Ramrameshwari Devi and others Vs. Nirmala Devi and others. 2011 AIR SCW 4000 **5 Marks**
2(f)	K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa (2013) 5 SCC 226	**or**	"United India Insurance co. Ltd. v. Shila Datta" & others AIR 2012 SC 86 **5 Marks**

FRAMING OF ISSUES & CHARGE

3(a) Frame the issues on the basis of the pleadings given here under -
निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये। 10 Marks

वादपत्र के अभिवचन :–

1. कस्बा विदिशा में प्रतिवादी 'क' के भूमिस्वामित्व की भूमि क्र. 1537/2 रकबा 1.369 हे. स्थित है। दि. 13.01.86 को प्रतिवादी 'क' ने वादी 'अ' से अनुबंध किया कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि (अनुबंधित भूमि) 35000/– रु. में दो वर्ष के अंदर विक्रय कर देगा व विक्रयधन प्राप्त कर रजिस्ट्री वादी के हक में संपादित कर देगा। प्रतिवादी ने दि. 13.1.86 को ही 25000/– रु. आंशिक विक्रयधन के रूप में प्राप्त कर भूमि का सांकेतिक कब्जा वादी को दे दिया एवं अनुबंध संपादित कर पंजीयन भी करा दिया।

2. अनुबंध के अनुसार प्रतिवादी 'क' को दिनांक 12.01.88 तक अवशेष विक्रयधन 10,000/–रुपया वादी से प्राप्त कर अनुबंधित भूमि का आधिपत्य वादी 'अ' को देकर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र संपादित करना था, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। प्रतिवादी को वादी ने दिनांक 04.01.88 को रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस दिया जिसकी तामील प्रतिवादी पर दिनांक 07.01.88 को हो गई किन्तु प्रतिवादी ने न तो नोटिस का उत्तर ही दिया और न ही अनुबंध का पालन किया। वादी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सम्पादित कराने हेतु पूर्व से ही तत्पर रहा है और आज भी तत्पर है किन्तु प्रतिवादी द्वारा अनुबंध का पालन न करने से वादी को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

3. वादी ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित कराने, कब्जा दिलाये जाने एवं कब्जा प्राप्त होने तक दो हजार रुपया प्रतिवर्ष मध्यवर्ती लाभ दिलाये जाने की डिक्री पारित किये जाने की मांग की है।

लिखित कथन के अभिवचन :–

प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि अपने भूमिस्वामित्व की होना स्वीकार किया एवं यह अभिवचन किया कि उक्त भूमि का वास्तव में कोई अनुबंध नहीं हुआ था। प्रतिवादी का अभिवचन है कि प्रतिवादी ने वादी से ऋण लिया था जिसका हिसाब जनवरी 1983 में करके वादी ने 10,000/– रुपये शेष निकाले थे। इस राशि पर 3 प्रतिशत मासिक ब्याज देना तय हुआ था। प्रतिवादी ने दिसम्बर 1985 में 10,000/– रुपये अदा किये थे। वादी ने जनवरी 1986 में पुनः हिसाब करके असल 10,000/– रुपये और ब्याज 10,800/– रुपये निकाले जिनमें से प्रतिवादी ने 6,000/– रुपये मुजरा देकर शेष 14,800/– रुपये बकाया निकाले थे। वादी द्वारा उक्त राशि की माँग करने पर प्रतिवादी ने 3 वर्ष का समय चाहा। इस पर वादी ने 2 वर्ष की ब्याज की राशि 10200/– रुपये और जोड़कर कुल 25,000/– रुपये की अदायगी की सुरक्षा के लिए प्रतिवादी को प्रश्नगत लिखापढ़ी करने के लिये बाध्य किया था। प्रतिवादी ने विवशता के कारण लिखापढ़ी पर हस्ताक्षर किये थे। दिनांक 13.01.86 को न तो प्रतिवादी को कोई धनराशि दी गई और न भूमि के क्रय विक्रय संबंधी कोई अनुबन्ध पक्षकारों के मध्य हुआ। प्रतिवादी वादी को व्यवहारिक धनराशि अदा करने हेतु सदैव तत्पर रहा है लेकिन वह अनुचित ब्याज की मांग पूरी करने को तैयार नहीं हुआ इस कारण वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

Plaint averments :-

1. Land bearing survey No.1537/2 area 1.369 hectare is situated in town Vidisha and the defendant is the Bhumiswami of the land. On 13.01.86, the defendant entered into an agreement with plaintiff that he shall sell out this land within 2 years for Rs.35000/- and after getting the sale amount he shall also execute a registered sale deed in favour of plaintiff. On 13.01.86, the defendant also received an amount of Rs.25000/- as partial sale amount/consideration and gave a symbolic possession to the plaintiff. He also got the agreement executed and got registered.

2. According to agreement, the defendant had to receive the remaining sale consideration of Rs.10,000/- from the plaintiff till 12.01.88 and to execute and get the sale deed registered after handing over the possession of land. However, he did not do so. The plaintiff on 04.01.88 sent a registered notice to the defendant which was served on 07.01.88 on him, but the defendant neither gave any reply to it nor performed his part as per the agreement. Plaintiff was always willing and ready and still is ready to perform his part of the agreement but the defendant was not willing hence the plaintiff has filed this suit.

3. Plaintiff has prayed for a decree for specific performance by execution of sale deed alongwith possession and mesne profit @ Rs.2000/- p.a. till possession.

Pleadings of written statement :-

The defendant admitted his bhumiswami right on the suit land and pleaded that there was no agreement regarding the above mentioned land. The defendant has pleaded that he has taken a loan from the plaintiff and in the January, 1983 the plaintiff after accounting had shown Rs.10000/- as the outstanding amount. 3% monthly interest was agreed to be paid on this amount. Defendant had paid Rs. 10000/- in December, 1985. In January, 1986, the plaintiff again showed Rs.10000/- as the principal and Rs. 10800/- as the outstanding interest. Out of this, the defendant had already paid Rs.6000/- and Rs.14800/- were only outstanding. On making a demand by plaintiff, the defendant requested for a time of 3 years and the plaintiff thereon again made a demand of Rs.10200/- towards interest. Thus, a total amount of Rs.25000/- was shown as due and for this defendant was forced to execute the disputed instrument. The defendant had signed the instrument in reluctance on 13.01.86. Neither any amount was given to the defendant nor any agreement for sale between the parties was executed. The defendant has always ready to pay a reasonable amount to the plaintiff for clearing the outstanding dues but the defendant did not conceded to the demand for unjust interest and therefore the plaintiff has filed the present suit which is liable to be dismissed.

3(b) Frame a charge/ charges on the basis of allegations given here under - 10 Marks

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

<u>आरोप विरचित किये जाने हेतु मैटर</u>

(1) अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2011 को चिकित्सक अजयसिंह ने थाना चंदेरी को एक लिखित सूचना इस आशय की भेजी कि 16 वर्षीय एक लड़की माया, निवासी ग्राम वजायन, थाना चन्देरी के द्वारा जहर खाने पर उसके माता–पिता उपचार हेतु दिनांक 04.02.2011 के सुबह 9:15 बजे लाये, जिसे कि प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है, और जिसकी हालत बहुत गंभीर है। उसी दिन माया की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर पुलिस चंदेरी ने धारा 174 द.प्र.सं. के तहत मर्ग सूचना दिनांक 04.02.2011 के 10:15 बजे मर्ग क्र. 4/11 पर दर्ज कर जाँच में लिया। मर्ग जाँच के दौरान आरक्षी केन्द्र चंदेरी के तत्कालीन ए.एस.आई. ने अस्पताल चंदेरी पहुंचकर मृतिका की लाश के संबंध में लिखापढ़ी कर मृतिका की लाश का पंचायतनामा बनाया। मृतिका की लाश का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु प्रतिवेदन अस्पताल में दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर घटना स्थल का मानचित्र मृतिका के पिता की निशादेही पर तैयार किया एवं मृतिका के पिता द्वारा पेश किये जाने पर एक प्लास्टिक की शीशी जिसमें जहरीला तरल भरा हुआ था, को गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया। मर्ग जांच के दौरान गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये।

(2) मर्ग जांच में यह तथ्य उद्घाटित हुये कि अभियुक्त यादनारायण आत्मज रामशरण द्वारा मृतिका माया के साथ ग्राम वजायन में आयेदिन छेड़छाड़ की जाती थी और जिससे कि वह गलत काम करना चाहता था। इसकी शिकायत मृतिका के माता–पिता द्वारा अभियुक्त के परिजनों को की गई, लेकिन अभियुक्त मृतिका से गलत संबंध बनाने के प्रयास में उसे बदनाम करने लगा। जिससे प्रताड़ित होकर मृतिका के द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली गई। डॉक्टर द्वारा मृतिका के आंतरिक अंगों को संरक्षित कर एफ.एस.एल. भिजवाया गया एवं मृत्यु की अवधि परीक्षण के 1 घंटे से 3 घंटे पूर्व के अंतराल में होना बताया। एफ. एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार मृतिका के आंतरिक अंगों में कीटनाशक पदार्थ पाया गया। मर्ग जाँच प्रतिवेदन उक्त सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा थाने में दिया गया, जिस पर से आरक्षी केन्द्र चंदेरी ने दिनांक 10.02.2011 को अपराध क्र. 79/2011 पर असल अपराध की कायमी कर मामला अन्वेषण में लिया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। साक्षियों के कथन से यह भी पाया गया कि दिनांक 04.02.2011 को सुबह अभियुक्त ने मृतिका को रास्ते में रोका और उसकी और अधिक बदनामी करने का भय दिखाया। अन्वेषण पूर्ण होने पर चालान प्रस्तुत किया गया।

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS

(1) Prosecution case is that on 04.02.2011 Dr. Ajaysingh sent a memo to PS Chanderi to the effect that at about 9:15 AM a girl Maya, R/o Village Vajayan, aged 16 years after consuming poison, was brought by her parents and she has been admitted in the hospital in serious condition. On the same day Maya died during treatment and Police Chanderi registered Merg No.4/11 under the merg intimation dated 04.02.2011 under Section 174 Cr.P.C. During inquest the then ASI Chanderi visited the Hospital and prepared the inquest Panchnama of the dead body. A request for postmortem was also submitted to the hospital. Police after visiting the place of incident prepared a spot map as per the statement of father of deceased and also seized a plastic bottle containing the poisionous liquid in presence of witnesses vide a seizure memo. Statement of witnesses during inquest were also recorded.

(2) In inquest it was disclosed that the accused Yadnarayan S/o Ramsharan used to harass the deceased Maya in Village Vajayan in order to make illicit relationship with her. On reporting of matter by Maya to her parents the accused started to defame her and on being harassed in this manner the deceased Maya has committed suicide by consuming poison. Doctor who performed the postmortem also preserved the internal organs of the deceased and got it sent to F.S.L. He described the duration of death within 1 to 3 hours. As per F.S.L. report an insecticide was found in the internal organs of the deceased. On submitting the

merg report a crime No.79/2011 was registered in PS Chanderi on 10.02.2011 and the investigation in the case was started. Statements of the witnesses were recorded. From the statements of witnesses it was also found that on 04.02.2011 in the morning, accused had obstructed the deceased when she was on way and had threatened her to defame more and more. After investigation the Challan was filed.

PREPARATION OF HEAD NOTE

4 **Read the following judgment and prepare two head notes.**

निम्नलिखित निर्णय को पढ़िये और दो हेडनोट/शीर्ष टिप्पण बनाईये । - 20 Marks

Judgment :- Heard learned counsel for the parties.

2. This appeal has been filed against the impugned judgment of the High Court of Madhya Pradesh dated 23.08.2002 passed in First appeal No. 224 of 1997.

3. The appellant is the landlord of the premises in question and the respondent is a tenant therein. The appellant filed a suit for eviction against the tenant on two grounds (i) default in payment of rent ; (ii) bona fide need.

4. As regards the first point, the High Court has recorded a finding of fact that the entire rent has been deposited by the tenant in compliance with the order of the High Court passed in a revision petition and hence we cannot interfere with the finding of the High Court on that point.

5. Shri S.K. Jain, learned counsel for the appellant submitted that even if the tenant has paid the rent up to the proceedings in the High Court, if he has committed default in payment of rent after the judgment of the High court and during the pendency of the special leave petition/appeal under article 136 of the Constitution of India before this Court, the provisions of Section 13(6) of the Madhya Pradesh Accommodation control Act, 1961 (for short 'the Act') will apply and the defence of the tenant will have to be struck off. We do not agree. In our opinion, the provisions of Section 13(6) of the Act will apply only to the statutory appeals under the Act and not to the constitutional remedy under Article 136 of the Constitution.

6. It is well settled that a statutory provision cannot control a constitutional provision, An appeal is a creature of the statute and the conditions mentioned in Section 13(6) of the Act will apply to the statutory appeal and not to the constitutional remedy. That is because a constitutional provision is on a higher pedestal as compared to a statutory provision. A statute cannot control the constitutional provisions. Hence, we reject the first submission of Shri S.K. Jain.

7. However, as regards the question of bona fide need, we find that the main ground for rejecting the landlord's petition for eviction was that in the petition the landlord had alleged that he required the premises for his son Giriraj who wanted to do footwear business in the premises in question. The High Court has held that since Giriraj has no experience in the footwear business and was only helping his father in the cloth business, hence there was no bona fide need. We are of the opinion that a person can start a new business even if he has no experience in the new business. That does not mean that his claim for starting the new business must be rejected on the ground that it is a false claim. Many people start new business even if they do not have experience in the new business, and sometimes they are successful in the new business also.

8. Hence, we are of the opinion that the High Court should have gone deeper into the question of bona fide need and not rejected it only on the ground that Giriraj has no experience in footwear business.

9. For the reasons given above, we set aside the impugned judgments, of the High Court and the trial Court on the question of bona fide need and remand the matter to the trial Court only to decide the issue of bona fide need afresh. Parties may lead fresh evidence on their pleadings and the trial court shall decide the matter expeditiously thereafter.

10. The Appeal is allowed on the question of bona fide need only to the extent indicated above. No costs.
Appeal allowed.

निर्णय :–विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया ।

2. यह अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील कमांक 242/1997 में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 23.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

3. अपीलार्थी प्रश्नाधीन स्थान का भवन स्वामी है एवं प्रत्यर्थी उसमें किरायेदार है । अपीलार्थी के द्वारा किरायेदार के विरूद्ध निष्कासन हेतु वाद निम्नलिखित दो आधारों पर प्रस्तुत किया गया था ।
   1. किराये की अदायगी में व्यतिक्रम ।
   2. सद्भावनापूर्ण आवश्यकता

4. जहां तक प्रथम बिन्दु का संबंध है, उच्च न्यायालय के द्वारा तथ्य का यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है कि किरायेदार ने उच्च न्यायालय के द्वारा पुनरीक्षण याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में समस्त किराया जमा कर दिया है, अत्एव हम उस बिन्दु पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं ।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0के0 जैन के द्वारा यह निवेदन किया गया की यदि किरायेदार के द्वारा उच्च न्यायालय तक की कार्यवाही में किराया अदा कर दिया गया हो, तो भी यदि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत किराया अदा करने में व्यतिक्रम किया गया हो एवं इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका/भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लंबन के दौरान किराये की अदायगी में व्यतिक्रम किया गया हो, तो मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (संक्षेप हेतु "अधिनियम") की धारा 13 (6) का प्रावधान लागू होगा एवं किरायेदार का बचाव निरस्त किया जाना होगा । हम सहमत नहीं है । हमारे मत में अधिनियम की धारा 13(6) का प्रावधान केवल अधिनियम के अंतर्गत कानूनी अपीलों पर ही लागू होगा एवं संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार पर लागू नहीं होगा ।

6. यह सुस्थापित है कि एक कानूनी प्रावधान किसी संवैधानिक प्रावधान को नियंत्रित नहीं कर सकता है । अपील कानून की उत्पत्ती है एवं अधिनियम की धारा 13(6) में दर्शाई गई शर्तें कानूनी अपील पर ही लागू होंगी, संवैधानिक उपचार पर नहीं । ऐसा इसलिये है कि संवैधानिक उपचार का स्थान कानूनी प्रावधान की तुलना में अधिक उंचा होता है, अतः हम श्री एस0के0 जैन के प्रथम निवेदन को निरस्त करते हैं ।

7. हालांकि जहां तक सद्भावनापूर्ण आवश्यकता का प्रश्न है, हम यह पाते हैं कि भवन स्वामी की याचिका को निरस्त करने का मुख्य आधार यह था कि याचिका में भवन स्वामी के द्वारा यह आरोपित किया गया था कि उसे स्थान की आवश्यकता अपने पुत्र के लिये थी, जो की प्रश्नाधीन स्थान में जूतों का धंधा करना चाहता था । उच्च न्यायालय के द्वारा यह धारित किया गया था कि चूंकि, गिरीराज को जूतों के धंधे का कोई अनुभव नहीं था एवं वह केवल अपने पिता के कपड़े के धंधें में उनकी मदद करता था, अतः कोई सद्भावनापूर्ण आवश्यकता नहीं थी । हम इस मत के हैं की कोई व्यक्ति नया धंधा प्रारंभ कर सकता है, भले ही उसे नये धंधे का कोई अनुभव न हो । इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का नया धंधा प्रारंभ करने का दावा इस आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए की यह एक मिथ्या दावा है । अनेक व्यक्ति नये धंधे का अनुभव न होते हुये भी नया धंधा प्रारंभ करते हैं एवं कुछ अवसरों पर वे नये धंधें में सफल भी होते हैं ।

8. अतः हम इस मत के हैं कि उच्च न्यायालय को सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के प्रश्न में अधिक गहरे तक उतरना चाहिये था एवं उसे मात्र इस आधार पर निरस्त नहीं करना चाहिये था कि गिरीराज को जूतों के धंधे का कोई अनुभव नहीं है ।

9. उपर दिये गये कारणों के आधार पर हम सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय एवं विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय को अपास्त करते है एवं केवल सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के वाद विषय को पुनः निर्णीत करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं । पक्षकार अपने अभिकथनों पर नई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे एवं तद्उपरांत विचारण न्यायालय प्रकरण का त्वरित निराकरण करेगा ।

10. केवल सदभावनापूर्ण आवश्यकता के प्रश्न पर उपर अंकित की गई सीमा तक यह अपील स्वीकार की जाती है । परिव्यय पर कोई आदेश नहीं होगा ।

अपील स्वीकृत ।

*****